

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला मीलवाड़ा
 उनवान

बनाम श्री जी लाल सिंह विरुद्ध श्री लाल सिंह
 किरम मुकदमा द्वारा 111-128 LRAU मु.नं. 8/20 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
31/1/20	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा <u>111-128 LRAU</u> के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक <u>4/3/2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p>	
4-3-2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण वाक्यरूप सूचना उपस्थित नहीं होने से उक्त विरुद्ध एक सूचना जारी की जा रही है। प्रार्थी वादीगण के पक्ष में प्रार्थना पत्रावली में दर्ज मुक्ति सूचना के अभाव में उक्त सूचना जारी की जा रही है।</p> <p>इस पत्रावली का आवेदन मिला गया कि प्रार्थी वादीगण भी वाद में भाग ले रहे हैं। प्रार्थी वादीगण के पक्ष में प्रार्थना पत्रावली में दर्ज मुक्ति सूचना के अभाव में उक्त सूचना जारी की जा रही है।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
नं०स० 8/20 (2020/00008)

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

के सीमांकन कराने के मोर्चे कागरी रोड 001 व
एसी स्थिति के धारों का प्रस्तुत प्रार्थन पत्र
स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

आतः प्रार्थों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र अर्थात्
धारा 128 L.R Act स्वीकार कर आदेश दिया
जाता है ग्राम साहपुर के अर्जित आ.नं 2781/1266
रकबा 0.05 है- धारों के सीमांकन शुल्क के रूप में
100 RS राजकोष के अर्थात् कार्रवाई प्रारंभ के रूप में
300 RS जमा कराने पर धारों को सीमांकन कराने
के लिए पालतार्चि लक्ष्मीकांत साहपुर को इस्तेमाल
जारी हो, पञ्जावली फेमल शुगर होमल गन्ना
से काम हो।


4.3.2020

(सुन्दरकांत लक्ष्मीकांत)
R AS

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
साहपुर (भीलवाडा)

